



उत्तराखण्ड वन विकास निगम
(शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73-नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष : 0135-2657610, फ़ैक्स : 0135-2655488

पत्रांक-उ-4246

/32-30 /बिक्री दरें

दिनांक: 20 नवम्बर, 2014

सेवा में,

1. समस्त महाप्रबन्धक, 2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,

उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

विषय :- उप खनिज रेता-बजरी-पत्थर-दड़ा की बिक्री की दरें खनन सत्र वर्ष 2014-15 ।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक उ-3562/दिनांक 05.10.2013

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित द्वारा जारी उप खनिज रेता बजरी पत्थर दड़ा आदि की बिक्री में आंशिक संशोधन करते हुये दरें निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

| क्र०सं० | मद | प्रस्तावित दर रु०/कुन्तल |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | रायल्टी | 5.00 |
| 2 | स्टाम्प शुल्क 8 % | 0.40 |
| 3 | लाभांश (कापर्स फण्ड) 10% | 0.54 |
| 4 | व्यस्थापना व्यय | 4.82 |
| 5 | स्टाफ एवं श्रमिक कल्याण | 0.20 |
| | योग :- (1 से 5) तक | 10.96 |
| 6 | क्षतिपूरक वनीकरण | 0.82 |
| 7 | रिवर ट्रेनिंग | 1.25 |
| 8 | सीमांकन एवं जलौनी | 0.31 |
| | योग :- (6 से 8) तक | 2.38 |
| | योग :- (1 से 8) तक | 13.34 |
| 9 | आयकर 2.5 % | 0.34 |
| | कुल योग :- | 13.68 |
| | पूर्णांक में योग:- | 13.70 |

1. उपरोक्त दरें तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी।
2. प्रतिवाहन निर्धारित तौल व्यय उपरोक्त के अतिरिक्त अलग से देय होगा।
3. अभिवहन शुल्क व मार्ग सुधार व्यय वन विभाग द्वारा स्वयं वसूल किया जायेगा।

भवदीय

(डा० एस० चन्दोला)

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :- उ-...../1/तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन) उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
2. लेखाधिकारी (मु०) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।

P.T.O.

(2)

4. आई0टी0सैल, (मु0) देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त नई दरों के आधार पर तौल कांटों के सॉफ्टवेयर में संशोधन करने का कष्ट करें।

(डा0 एस0 चन्दोला)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :- उ-4246 / 1 / तददिनांकित। 20-11-14

प्रतिलिपि:- निम्न को संज्ञानार्थ प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक (गढवाल/कुमांऊ) पौड़ी/हल्द्वानी।
5. वन संरक्षक, वन वृत्त, शिवालिक/पश्चिमी/यमुना क्षेत्र
6. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/पौड़ी/नैनीताल/ऊद्यमसिंह नगर/चम्पावत
7. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/लैन्सडौन/तराई पश्चिमी/पूर्वी तराई/हल्द्वानी/मूर्छी/कालसी
8. उप निदेशक/जिला खनन अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून/हरिद्वार/पौड़ी/नैनीताल/ऊद्यमसिंह नगर/ चम्पावत।

(डा0 एस0 चन्दोला)
प्रबन्ध निदेशक